



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2713]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 19, 2019/श्रावण 28, 1941

No. 2713]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST, 19, 2019/SRAVANA 28, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2019

का.आ. 2976(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4174 (अ), तारीख 23 अगस्त 2018 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के धुळे जिले में NH53 के कि.मी. 502.8 से कि.मी. 606 (कलेक्टर ऑफिस) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "09 सितम्बर 2018" को "लोकमत" (मराठी) और "दि इंडियन एक्सप्रेस" (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के धुळे जिले में NH53 के कि.मी. 502.8 से कि.मी. 606 (कलेक्टर ऑफिस) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: धुळे			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: धुळे					
गांव का नाम: फागणे					
1	440	निजी	कृषि	0.026	शांतिप्रकाश दशरथ साळुंखे ()
गांव का नाम: महल काली					
2	384	निजी	कृषि	0.1435	वसंत तुकाराम बोदरे ()
गांव का नाम: वडजाई					
3	131	निजी	कृषि	0.008	सुरेश भाऊराव पाटिल ()
तालुक का नाम: साक्री					
गांव का नाम: बोडकीखाडी					
1	49	निजी	कृषि	0.08	मीराबाई गेंदा कोकणी, दत्तात्रय गेंदा कोकणी, हंसराज गेंदा कोकणी ()
2	50	निजी	कृषि	0.09	बापू हरी चौरे, बंदु कालसिंग भीम ()
गांव का नाम: दहिबेल					
3	103	निजी	कृषि	0.05	शिवाजी नामदेव पाटिल ()
4	13	निजी	कृषि	0.13	उखा वेदु माली ()
5	57	निजी	कृषि	0.07	भटाबाई दिलीप गुरव ()
			कुल	0.5975	

[फा. स. NHAI/PIU/NSK/NH-NH-6/LA/2010/3A4/3D4]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th August, 2019

S.O. 2976(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No. 4174(E) dated 23 August 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH53 on the stretch of land from Km 502.8 to Km 606 (Collector Office Dhule) in the district of DHULE in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lokmat” (Marathi) and “The Indian Express” (English) both dated 09.09.2018; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH53 in the stretch of land from NH53 (Collector Office Dhule) in the district of DHULE in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: DHULE		
Sr. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Dhule				
	Viillage: Fagane				
1	440	Private	Agriculture	0.026	Shantiprakash Dasharath Salunkhe
	Viillage: Mahal Kali				
2	384	Private	Agriculture	0.1435	Vasant Tukaram Bodre
	Viillage: Vadjai				
3	131	Private	Agriculture	0.008	Suresh Bhaurao Patil
	Taluk: Sakri				
	Viillage: Borki Khadi				
1	49	Private	Agriculture	0.08	Mirabai Genda Kokni, Dattatray Genda Kokni, Hansraj Genda Kokni
2	50	Private	Agriculture	0.09	Bapu Hari Chaurey, Bandu Kalsing Bhim
	Viillage: Dahiwel				

3	103	Private	Agriculture	0.05	Shivaji Namdeo Patil
4	13	Private	Agriculture	0.13	Ukha Vedu Mali
5	57	Private	Agriculture	0.07	Bhatabai Dilip Gurav
			TOTAL	0.5975	

[F. No. NHAI/PIU/NSK/NH-6/LA/2010/3A4/3D4]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.